SHRI P. VENKATASUBBAIAH: What can I do? Mr. Charan Singh brought it. Dr. Vasant Kumar Pandit. This is the first time we see it. We are glad to know about it. This is the first time that they are coming forward saying that something good was done in our time and they are continuing it; in spite of it, if there are mistakes done in our regime, they should not continue them.

PROF. N. G. RANGA: Where is the question of discrimination?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: In very rare cases they had not committed any mistakes. This is one of those cases.

MR. CHAIRMAN: It is a compliment to you!

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Every time, while considering the case of Bonus for P&T workers, University Teachers, etc., they were giving the stock argument saying, 'Look, we have to see whether any other persons are benefited, or any other persons are discriminated against' and so on. And therefore, in this particular case, I do feel that at a very higher level of Class I officialdom this sort of discrimination should not have been done. However, as the hon. Minister has given his explanation, I would not press for my motion.

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that the motion moved by Dr. Vasant Kumar Pandit be withdrawn?

The motion was, by leave, withdrawn

17.15 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

THREE LANGUAGE FORMULA IN DELHI SCHOOLS

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) सभापति महोदय, पहले तो मैं माननी स्पीकर साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण सवाल पर आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार की है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने उप शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं। उप शिक्षा मंत्री जी रेल मंत्री ज्यादा हैं और शिक्षा मंत्री कम हैं। मैं नहीं समझता कि क्या वह इन प्रश्नों का जवाब दे पायेंगे। बहरहाल, मैं आपके संरक्षण में चन्द शब्द इस संदर्भ में विनम्रता-पूर्वक निवेदन करता हूं।

मान्यवर, आज मुल्क में हिन्दी राष्ट्र-भाषा और राजभाषा के रूप में मानी जा रही है। 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी कानून हमारे मुल्क में राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। इसी के साथ-साथ हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा भी थी। हमारे शासकों ने हिन्दी की प्रगति के लिए इस हाउस में और इस हाउस के बाहर बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञाएं की और बड़े-बड़े वायदे किए और एक बार नहीं सैंकड़ों-हजारों बार उन्होंने हिन्दी की प्रगति के लिए पूरे मुल्क की शासन व्यवस्था को और शासन के जिम्मेदार लोगों को बड़े आवश्यक निर्देश दिए, लेकिन आज 34 वर्ष के बाद भी ये सारे के सारे निर्देश, सारी की सारी व्यवस्था कागज पर ही रह गई है।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दी को राजभाषा स्वीकार करते समय, हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में होते हुए, जितना हिन्दी का अपमान हुआ है, उतना किसी भी भाषा का अपमान नहीं हुआ है। मान्यवर, मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि इस मुल्क के अन्दर हिन्दी को मेहतरानी के रूप में स्वीकार किया गया है और अंग्रेजी को महारानी के रूप में स्वीकार किया गया है। यह

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

भी हमारे मुल्क के शासन की देन है . . . (व्यवधान) . . .

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजी विरासत में मिली है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मान्यवर, जैसा कि हमारे राय साहब ने कहा कि पैदा होते ही इस मुल्क को अंग्रेजी विरासत में मिली । मैं लोक सभा में बिलकुल नया आया हूं, इसके लिए पहले कभी मैंने लोक सभा की कल्पना तक नहीं की थी । मैंने यहां आ कर देखा, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यहां भी अंग्रेजी के हिमायती बैठे हुए हैं । . . . (व्यवधान) . . . हिन्दी के लिए इस मुल्क में कुछ विशेष प्रान्तों को ले कर आड़ में कहा जाता है कि वे प्रान्त हिन्दी नहीं चाहते हैं, जबकि मेरे पास इस बात के पूरे प्रमाण है कि हिन्दी के लिए काफी बलिदान हुए हैं । दस-बारह साल पहले आन्ध्र प्रदेश में एक आदमी ने हिन्दी के ही पक्ष में अपने बदन पर तेल छिड़क कर आग लगा कर जिन्दा मर गया । तमिलनाडु में भी और मैसूर में भी तथा दक्षिण भारत के अन्य प्रान्तों में भी, हिन्दी के बारे में आज भी लोगों के अन्दर सम्मान है और मुल्क के सारे लोगों की आत्मा की आवाज है कि हिन्दी राष्ट्र-भाषा के रूप में और साथ ही साथ राज-भाषा के रूप में अवश्य प्रस्थापित की जाए ।

जनसंख्या की दृष्टि से भी यदि हम देखते हैं, तो हिन्दी का विश्व के अन्दर तीसरा स्थान है । इस संदर्भ में मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं -- चाइनीज भाषा बोलने वाले 60 करोड़ लोग हैं, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले 34 करोड़ लोग हैं, रशियन भाषा बोलने वाले 20 करोड़ 60 लाख हैं, स्पैनिश 15 करोड़ 20 लाख लोग हैं, अन्य भाषा बोलने वाले 12 करोड़ लोग हैं, जैपेनीज भाषा बोलने वालों 10 करोड़ लोग हैं, अरबी भाषा बोलने वाले 9 करोड़ लोग हैं, जब कि हिन्दी बोलने वालों की संख्या, यदि कुल टोटल किया जाए तो तीसरा नम्बर यानी 28 करोड़ लोग हैं ।

इतनी बड़ी संख्या में बोलने वाले हिन्दी भाषी हैं ।

सभापति महोदय : यह तो दिल्ली स्कूलों के बारे में है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : दोनों के बारे में है, उस में पहला यह है और उस के बाद वह है । मैं 5-5 मिनट दोनों पर लूंगा ।

मान्यवर, इस प्रकार से 28 करोड़ हिन्दी वाले जो लोग हैं, उन की आज यहां पर उपेक्षा है । वर्तमान शासन के छः महीने के अन्दर हिन्दी बोलने वालों के साथ क्या व्यवहार किया गया है, उसे बता देना चाहता हूं । डब्लू० ए स० पाल नाम का एक व्यक्ति है, जो एन० सी० ई० आर० टी० में फोटोग्राफर के पद पर कार्यरत है । वह हिन्दी बोलता है और अपना सारा काम हिन्दी में करता है । उस का अधिकारी कोई मिश्रा जी हैं । वह उस से इसलिए दुःखी हैं कि वह हिन्दी में क्यों बात करता है और हिन्दी में क्यों अपना काम करता है । तरह तरह की तिकड़म लगा कर उस ने 28 साल से सेवा करने वाले कर्मचारी को अभी अभी मुअत्तल किया है । मैंने शिक्षा मंत्री जी से कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बुला रहा हूं और अभी उस की फाइल देखता

हूं लेकिन आज तक हिन्दी के नाम पर बलिदान हुए उस आदमी की फाइल नहीं देखी गई।

इतना ही नहीं, इसी संदर्भ में एक और अत्यन्त शर्मनाक चीज बता दूं। उस कर्मचारी ने अपने जी० पी० एफ० से, जब वह भूखा मरने लगा, हिन्दी में पैसा निकालने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया। उसी अधिकारी ने बुला कर उस से कहा कि तुम अपना प्रार्थना-पत्र अंग्रेजी में लाओ लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैं हिन्दी में ही यह प्रार्थना-पत्र दूंगा और उस का परिणाम यह हुआ कि उस की कमाई का पैसा सारा जमा है लेकिन आज तक जी० पी० एफ० का पैसा उसे वापस नहीं किया गया और उसे अंग्रेजी में प्रार्थना-पत्र देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे बढ़ कर लज्जा की बात हम लोगों के लिए और नहीं हो सकती। आज हिन्दी की हत्या हमारे ही लोगों के द्वारा की जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि हिन्दी को ही अपनाया जाए। और अपने देश की दूसरी मातृभाषाओं को आदर न दिया जाए। मैं इस बात कम हिमायती हूं कि हिन्दी के साथ और दूसरी मातृभाषाओं जैसे बंगला, तमिल, तेलगु वगैरह वगैरह को भी आदर दिया जाए। आज हमारी प्रधान मंत्री जी बाहर जा कर अंग्रेजी में बोलती हैं और जब उन को यहां कुछ कहना होता है, तो हिन्दी की हिमायती होती हैं और हिन्दी की वकालत करती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह डबल नीति क्यों है और यह कैसे आगे चलेगी।

आन्ध्रवर, हिन्दी के विकास के लिए एक हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई है। हिन्दी निदेशालय का तो कुछ कहना ही नहीं। यहां जितने काम हो रहे हैं, सब धीमी गति से हो रहे हैं। चार-चार और पांच-पांच साल से पुस्तकें यहां पर पड़ी हुई हैं और आज तक उन पुस्तकों के प्रकाशन का फ़ैसला नहीं हुआ। जो वहां से पुस्तकें छपती हैं, उन को पाठ्यक्रम में नहीं लगाया जाता है। जो विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं, यह भी उतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते जितना उन का कर्त्तव्य है और आश्चर्य की बात मैं यह बता रहा हूं कि —मैं हिन्दी का लेखक हूं और जानता हूं—इसी दिल्ली के अन्दर हिन्दी लेखकों के नाम का ट्रेड मार्क चलाया जा रहा है और उन के नाम से किताबें बिकती हैं। राजवंश, रति मोहन, सुरेश और शेखर ऐसे-ऐसे नामों से किताबें बिकती हैं और पता नहीं कि वह आदमी आज जिन्दा भी हैं और वह इस दुनिया में कभी पैदा भी हुआ है। ऐसे लेखकों के नाम से धड़ल्ले से किताबें बिक रही हैं। सरकार अश्लीलता के नाम पर और गलत लेखकों के नाम पर अगर किताबें छपती हैं, तो उस के लिए दंड लगाने की बात तो करती है लेकिन सरकार के दिमाग में यह बात नहीं है कि इस प्रकार फर्जी लेखकों, जाती लेखकों को ट्रेड मार्क के रूप में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उस को रोकने के लिए कुछ कदम उठाये जाएं। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री जी ऐसे प्रकाशनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना चाहती है या भविष्य में करेंगे, जो ट्रेड मार्क के नाम से किताबें छाप कर बेच रहे हैं।

सभापति महोदय : स्कूलों के बारे में कहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : प्रौढ़ शिक्षा पर और हिन्दी के विकास के लिए बहुत रुपया खर्च किया जा रहा है, करोड़ों

[श्री राजनाथ सीतकर शास्त्री]

रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन मैं यह देखता हूं कि 100 आदमी भी देहातों में हिन्दी नहीं सीख सके हैं। इसका मेरे पास बहुत गहरा प्रमाण है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अब तक जो हिन्दी के हत्यारे लोग रहे हैं, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

आपने स्कूलों के बारे में कहा। मान्यवर, हिन्दी के विकास के लिए, हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए दिल्ली के स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया था। डा० सुनीति कुमार चटर्जी जो कि राजभाषा आयोग के चेयरमैन थे, उन्होंने 1956 में त्रिभाषा फारमूले का प्रस्ताव रखा था। दिल्ली एजूकेशन एक्ट 1973 में बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया गया और कक्षा 6 से कक्षा 10 तक तीन भाषाएं पढ़ाने की केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दी। अब जैसा कि हम देख रहे हैं और मेरे जिस प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार की गई, इसका उत्तर देते हुए बताया गया कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक त्रिभाषा फार्मूला लागू है, उसके बाद लागू नहीं है। मैं जानना चाहता हूं हूं कि क्या यह हिन्दी का भयंकर रूप से अवरोध करने का तरीका नहीं है ?

मान्यवर, एक वर्ष पहले हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जा रही थीं। सेन्ट्रल बोर्ड ने एक भाषा अनिवार्य कर के हिन्दी की हत्या कर दी। शिक्षा मंत्री ने 27-11-81 को राज्य सभा में प्रश्न संख्या 712 के उत्तर में बताया कि 56 हजार 351 छात्रों में से, 50 हजार 83 छात्रों ने अंग्रेजी में परीक्षा दी तथा कक्षा आठ तक त्रिभाषा फार्मूला लागू है। कक्षा 9-10 में त्रिभाषा फार्मूला क्यों नहीं लागू है यह मैं जानना चाहता हूं ?

मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि हिन्दी को नेस्तोनाबूद करने के लिए तथाकथित अंग्रेजी से प्रभावित लोग एक साजिश कर रहे हैं। 10 प्लस 12 योजना में भी सभी छात्र हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ते थे। लेकिन अब हिन्दी और त्रिभाषा फार्मूला को हटा कर आपने उनमें केवल एक भाषा लगाई है। इस तरह से उन कक्षाओं में भी आपने हिन्दी का कोई भविष्य नहीं रखा है।

शिक्षा उपमंत्री ने लोक सभा में प्रश्न संख्या 1986 के उत्तर में बताया था कि विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में 183 छात्र हिन्दी पढ़ते हैं और 6 हजार 322 छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है ? क्या इस मुल्क में हिन्दी का इस से बढ़ कर कोई अपमान किया जा सकता है ? क्या इसका और कोई दूसरा उदाहरण मिल सकता है ?

मान्यवर, मैं अपने वक्तव्य को लम्बा नहीं बढ़ाना चाहता। और लोग भी प्रश्न पूछेंगे और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे इस सवाल पर पूछें। मैं अब केवल दो-तीन प्रश्न माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछूंगा —

जब सेन्ट्रल बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में त्रिभाषा फार्मूले की जगह द्विभाषा फार्मूला लागू करने के लिए दिल्ली के स्कूलों को कानून के खिलाफ करने को कहा तो दिल्ली प्रशासन ने कानून का पालन करने के लिए क्या क्या कार्यवाही की थी ?

क्या यह भी सत्य है कि इस द्विभाषा फार्मूला करने से अंग्रेजी भाषा ने दिल्ली

के स्कूलों में अनिवार्य रूप धारण कर लिया है और राजभाषा हिन्दी तथा क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में ऐच्छिकता आने से छात्र 8वीं कक्षा के बाद राजभाषा नहीं पढ़ पाता है ? जब कि हायर सेकेंडरी योजना में विज्ञान के छात्र 10वीं कक्षा तक अनिवार्य हिन्दी और शेष छात्र 11वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी पढ़ते थे ?

क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली के कुछ सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में—जैसे रायसीना बंगाली, फतहपुरी मुस्लिम तथा कमर्शियल स्कूल में हिन्दी की सुविधा विज्ञान और वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों को नहीं है ?

क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली के अनुदान प्राप्त विद्यालयों में विज्ञान पढ़ने वाले 183 छात्र हिन्दी पढ़ रहे हैं और 6 हजार 322 छात्र अंग्रेजी पढ़ रहे हैं जब कि शिक्षा अधिनियम एवं नियमावली के नियम 8 में शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना चाहिए। जैसा कि मेरे प्रश्न 1986 के उत्तर में उपशिक्षा मंत्री ने 3-12-81 को लोक सभा में बताया था; इस नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा है ?

इस नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा है ?

शिक्षा-मंत्रालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा दिल्ली शिक्षा निदेशालय को त्रिभाषा फार्मूला और हिन्दी की उपेक्षा के सम्बन्ध में किन-किन से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। उन संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है और जैसा कि मैंने पहले पूछा था कि क्या सरकार हिन्दी की हत्या करने वाले अफसरों, प्रशासनिक तंत्र और अन्य जिम्मेदार लोगों जैसे—प्रकाशक वगैरह के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी और कब तक की जाएगी ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मान्यवर, यह गलत कल्पना है कि भारत देश में जिसने जन्म लिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति हिन्दी भाषा की हत्या करना चाहता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : डब्ल्यू० एस० पाल नाम के कर्मचारी के साथ ऐसा किया गया है।

श्री मल्लिकार्जुन : हिन्दी भाषा का अपमान कोई नहीं करना चाहता। हिन्दी की प्रगति सरकार चाहती है और समाज में जिस ढंग से सरकार द्वारा सहयोग दिया जाना चाहिए, वह दिया जा रहा है।

मान्यवर, यह कोई भाषा के बारे में बहस नहीं है, बल्कि त्रिभाषा फार्मूले के बारे में बात हो रही है। यह फार्मूला संपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है, किन्तु कुछ लोगों को इससे संतुष्टि नहीं है, अगर वे लोग शांति से बैठें तो मैं उनको बता दूंगा।

त्रिभाषा फार्मूला लागू करने के बारे में सरकार की इच्छा यह थी कि विद्यार्थी कम से कम तीन भाषाएं जो वे चाहते हैं वे उनको पढ़नी चाहिएं और हिन्दी जरूर पढ़नी चाहिए—एज ए कंपलसरी, लेकिन जो हमारा एजूकेशन कमीशन है, उसकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी 3 साल तक कोई भाषा पढ़ता है तो रोज के व्यवहार के लिए और जरूरत के मुताबिक उसे उस भाषा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मान्यवर 6 से 8 क्लास तक यह त्रिभाषा फार्मूला लागू है। जैसा कि माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, इसमें हिन्दी कम्पलसरी है फिर इसके अलावा चाहे हम इंगलिश लें या अपनी मातृभाषा लें या कोई रीजनल

[श्री मल्लिकार्जुन]

भाषा ले सकते हैं। आंठवीं क्लास में जब तीन भाषाओं में पास हो जाते हैं तो 9 वीं और दसवीं क्लास में कोई दो भाषाओं को अन्य विषयों के साथ ले सकते हैं। दो भाषाओं में हिन्दी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं या बंगाली, कन्नड़, तेलगू इत्यादि जो विद्यार्थी चाहते हैं वह ले सकते हैं।

माननीय यह गलत कल्पना है कि त्रिभाषा फार्मूला लागू नहीं हो रहा। जब 11 वीं, 12 वीं कलास में जाएंगे तो जो साइंस लेते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई डाक्टर बनना चाहते हैं या स्कालर बनना चाहते हैं, कोई ह्यूमिनिटीज लेते हैं, इन विषयों के साथ भी एक भाषा लेना बहुत जरूरी है जो वह चाहता है लें या अपनी मातृभाषा जो वह चाहता है ले सकता है, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत का कोई भाषा जो वह चाहता है ले सकता है। अगर कोई विद्यार्थी—सिर्फ हिन्दी पढ़ने की आकांक्षा रखता है और 6 क्लास से 12 क्लास तक वही लैंगुएज पढ़ना चाहता है तो वह ऐसा भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आठवें में हिन्दी पढ़े और पास करे और फिर नवीं में जा कर नहीं ले सकता है। फिर दसवीं में नहीं ले सकता है। ऐसी बात नहीं है। इस तरह से त्रिभाषा फार्मूला लागू है। नवीं-दसवीं में तीन भाषायें क्यों नहीं हैं? तीन भाषायें आप चूज कर लें। एडीशनल भी एक चूज करने की सुविधा है।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि एडिड स्कूल्ज में साइंस में हिन्दी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सिर्फ 186 है और अंग्रेजी में पढ़ने वालों की 6322 के करीब है, ऐसा क्यों है। यह विद्यार्थी की रुचि पर निर्भर करता है। विद्यार्थी साइंस अंग्रेजी में पढ़ता है तो उसको शायद सहूलियत होती है, इस वास्ते पढ़ता है। समझ बूझ कर खुद अंग्रेजी लेता है। नवीं, दसवीं में भी अंग्रेजी लेता है। हिन्दी भी लेते हैं। संस्कृत भी लेते हैं। 11वीं 12वीं में आते हैं तो साइंस लेते हैं और तब कोई हिन्दी लेता है और कोई अंग्रेजी। ज्यादातर अंग्रेजी ले रहे हैं, यह सही है। ऐसा शायद इसलिए है कि उनको सहूलियत होती है। सरकार का बिल्कुल विचार नहीं है कि हिन्दी की प्रगति रुके या हिन्दी की प्रगति न हो। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि हिन्दी की हत्या हो।

माननीय सदस्य ने दो तीन स्कूलों के नाम लिए हैं। उन्होंने रायसीना बंगाली स्कूल का नाम लिया है और कहा है कि वहां हिन्दी की सुविधा नहीं है। इसका कारण यह है कि वहां कम से कम बारह विद्यार्थी नहीं थे जिन्होंने इस भाषा को आप्ट किया। अगर बारह विद्यार्थी आप्ट नहीं करते हैं तो वह भाषा पढ़ाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। फिर चाहे कोई भी स्कूल हो या कोई भी भाषा हो: चाहे अंग्रेजी, बंगला, मराठी कोई भी हो। मिनिमम बारह विद्यार्थी उस भाषा को पढ़ने वाले होने चाहियें। वह रिजनल लैंगुएज का स्कूल है। मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन वहां बंगला में है इसी तरह से—

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : 122 हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : अगर हैं तो वहां कल ही हिन्दी के इंट्रोड्यूस कर दूंगा, यह मैं वादा करता हूं।

इसी तरह से फतहपुर मुस्लिम स्कूल है। वहां भी नहीं है। उर्दू वहां का मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन है। कमर्शियल हायर सैकेण्डरी स्कूल जो दरियागंज में है वहां हिन्दी की सुविधा है क्योंकि वहां बारह विद्यार्थी थे जिन्होंने हिन्दी को आप्ट किया।

त्रिभाषा फार्मूला सैकेण्डरी बोर्ड, एजुकेशन और रूल 9 जो दिल्ली एजुकेशन स्कूल एक्ट का है, वह पूरे तरीके से लागू किया जा रहा है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरे दो प्रश्न रह गए हैं जिन का उत्तर नहीं आया है । एक पब्लिशर्ज वाला और दूसरा हिन्दी निदेशालय वाला ।

इस पर आपने कोई विचार नहीं दिया ।

श्री मल्लिकार्जुन : जो पब्लिशर्स धोखा देते हैं उनको दफा 420 में गिरफ्तार करते हैं । अगर माननीय सदस्य जब नाम के साथ जानते हैं तो थोड़ा हमें ढंग से बतायेंगे तो धोखा करने वालों को सरकार माफ नहीं करेगी । अगर कोई किसी का ट्रेड मार्क ले कर, लेखक कोई दूसरा है, उनके नाम पर किताब छाप रहे हैं और बेच रहे हैं तो आप हमें बतायें उनका कानून के तहत प्रबन्ध किया जायगा ।

SHRI SUDHIR GIRI (Contai): I have one question to ask. I am dividing this question into two parts:

(a) Does the Government agree to the formula that mother tongue should be the medium of instructions compulsorily at the primary level of education i.e. upto 5th standard?

(b) Does the Government agree to the fact that there is a growing privileged class? This privileged class loves English and they are getting their children educated in English. So, in competition the boys and girls coming from the rural areas cannot complete with those who are learning English. What steps does the Government propose to take so that Regional language can be developed in such a way that the heightened position of English is diminished gradually?

श्री त्रिलोक चन्द (खुर्जा) : अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह एक बहुत साधारण सा उत्तर है, उसके कोई त्रिभाषा फारमूला का क्लेरिफिकेशन नहीं होता है । मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने बताया है कि आज छठी से आठवीं तक त्रिभाषा फार्मूला लागू है । उससे पहले पहली से छठी तक कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं है । न छठी पास करना जरूरी है । किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़े, प्राइवेट तरीके से कर के या म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़े और अंग्रेजी न भी पढ़े तब भी छठी में दाखिला ले सकता है । यह हमारा नियम है । तो अगर 5वीं तक पढ़ ले अंग्रेजी और छठी में जा कर उसका दाखिला हो स्कूल में तो वह सेकेण्डरी लैंगुएज की तरह हिन्दी को पढ़ेगा तीन साल तक, यानी छठी, 7वीं और 8वीं तक । क्योंकि मेन उसका हो गई इंगलिश, शुरू से उसने अंग्रेजी पढ़ी और छठी में जा कर सेकेण्ड लैंगुएज के रूप में उसने ले ली हिन्दी । 8वीं, 9वीं और 10वीं तक उसको कुछ लेना नहीं है । तो उसको तीन साल ऐज सेकेण्डरी लैंगुएज पढ़ता है, न कि कम्पलसरी लैंगुएज की तरह पढ़ता है । हिन्दी हमारी राज भाषा है इस दृष्टिकोण से दिल्ली में नहीं पढ़ता है । इस दृष्टिकोण से दिल्ली में पढ़ाई नहीं होती है ।

इसके अलावा दूसरी बात यह कि आपके दिल्ली ऐजूकेशन ऐक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अपढ़ 10वीं० जो त्रिभाषा फार्मूला है वह लागू रहेगा । तो 8वीं तक कैसे ऐजूकेशन बोर्ड ने कर दिया जब तक कि ऐक्ट में संशोधन न हो जाय ? क्या बोर्ड के नियम ऐक्ट से ऊपर हैं ? या तो ऐक्ट में संशोधन होना चाहिए कि 8वीं तक त्रिभाषा फार-

[श्री त्रिलोक चन्द]

मूला लागू रहेगा, या फिर यह करना चाहिए था कि उसको 9वीं और 10वीं तक पढ़ना चाहिए। कि आपकी इस बात से इत्तफ़ाक करता हूं कि आपने कहा त्रिभाषा फ़ारमूला लागू है दिल्ली में छठी से 8वीं तक। लेकिन आपके ऐक्ट में 10वीं तक है। तो ऐक्ट सुप्रीम है या ऐजूकेशन बोर्ड सुप्रीम है ?

इतना ही फ़र्क नहीं है, मंत्री जी को यह मामूली बात लग रही होगी। लेकिन दिल्ली में अगर अंग्रेजी को इतना महत्व दिया गया तो मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दी भाषी जो प्रान्त हैं जिनमें अंग्रेजी सेकेण्डरी लैंगुएज की तरह पढ़ाई जाती है चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, इन लोगों का क्या होगा, कम्पिटीशन में ? कभी यह लड़के आयेंगे ?

(Interruptions)

श्री त्रिलोक चन्द : तभी लड़के आयेंगे।

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Who are those people? The Maharashtra would like to learn Telgu. Telgu people would like to learn Kannada. Even then, they are not doing.

श्री त्रिलोक चन्द : हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा महाराष्ट्र में है, ऐसा नहीं है कि वह तेलुगु में ही बोलते हैं। बोलते सभी जगह हैं, लेकिन अगर यह व्यवहार में रहा है, जैसा कि इस प्रश्न के द्वारा इंगित कराया गया है, शास्त्री जी ने आंकड़े दिये हैं। मेरा कहना है कि या तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों में परिवर्तन करें या दिल्ली एजूकेशन एक्ट में चेंज करें। यह जो कंट्रोवर्शियल है, यह नहीं रहना चाहिए। इन सवालों का जवाब मैं चाहता हूं ताकि लोगों को पता लग जाए कि दिल्ली में हिन्दी नहीं पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है।

SHRI MALLIKARJUN: Sir, the hon. Member Shri Sudhir Giri has put two questions. That is about primary school and diminishing the teaching of English. In primary schools, from 1st Class to 5th Class, mother-tongue is given the preference. This is mainly concerned with the three languages formula. He asked if English would be reduced or not? Even in the case of the privileged community children studying between 6th and 8th classes, in whichever school in the entire country, the three-languages formula is being followed. Therefore, there is nothing much for me to reply about it.

MR. CHAIRMAN: Two-languages formula is going on, at present.

SHRI MALLIKARJUN: For changing the Act, the very concept of three-languages formula may be taken into account. The Education Commission has recommended this with a view that by the time the students come to 10th Class, they must have known at least three languages. It is also said that three years are enough for every student to get acquainted with a particular language. Here, the situation is when they are at the lesser age, they will have more grasping capacity. Suppose, any student passes the three languages by 8th Class itself, what necessiates for us to say, "Why are you passing at the 8th Class, you go up to 10th class?" Why should we do? After all, the main concept of the three-languages formula is to make a student acquainted with the three languages and to learn the three languages.

Ultimaely, the higher education goes on a dicerent way. Till 12th Class, any student who is desirous of taking Hindi, there is a provision for it. In the 9th or 10th Class also, he can take Hindi or any other language. In the 11th and 12th Classes also,

he can take Hindi or any other language along with the optionals. There are 24 languages, prescribed. India being a linguistic country, we cannot ignore the feelings of the entire nation as a whole.

श्री त्रिलोक चन्द्र : एक में तरमीम क्यों नहीं करना चाहते आप ? यह हमें बता दें ।

श्री मल्लिकार्जुन : क्यों करना चाहिए, जब जरूरत रहेगी तो किया जा सकता है । आवश्यकता नहीं है ।

श्री त्रिलोक चन्द्र : आवश्यकता है, तभी कहा गया है । उसे चेंज करने के लिए आपको कौन मना करता है ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सभापति जी, आधे घण्टे की चर्चा इसीलिए स्वीकार की गई थी कि इस विषय पर काफी प्रकाश पड़ सके ।

सभापति महोदय : आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब उन्होंने दिया ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिया ।

MR. CHAIRMAN: He has replied.

ARREST AND RELEASE OF MEMBER

17.50 hrs.

MR. CHAIRMAN: I have to inform the House that the Speaker has received the following communications dated 23rd December, 1981 from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi, today:—

(i)

"I have the honuor to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers that Chaudhary Multan Singh, Member of Lok Sabha who along with his 22 other party workers voluntarily violated prohibitory orders promulgated under section 144 Cr.P.C. on Raj Path Rafi Marg crossing at about 2.30 P.M. be arrested in case FIR No. 659 dated 23-12-81 under section 188 IPC, Police Station Parliament Street, New Delhi. He is being produced before the area Judicial Magistrate."

(ii)

"Kindly refer to this office letter dated 23-12-81, informing you that Chaudhary Multan Singh, Member of Lok Sabha, was arrested in case FIR No. 659 dated 23-12-81 under section 188 IPC Police Station Parliament Street, New Delhi.

The Member of Parliament, along with his other party workers was produced in the Court of Metropolitan Magistrate, Patiala House, New Delhi, at 15.45 hours. The court admonished them including the Member of Lok Sabha and set them free."

Now, the House stands adjourned to meet again tomarrow at 11 A.M.

17.51 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, December 24, 1981/ *Pausa* 3, 1903 (*Saka*)

GMGIPMRND—L—2973 LS—11-2-82